

20-10-21

उपरोक्त प्रार्थीगण की प्रार्थना राजकीय कार्य से बाहर हो जाने पर है / परिवर्तित है।  
अतः पत्रावली दिनांक 2/12/21 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

2-12-21

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, वकील प्रार्थीगण ने पुनः बहस करनी चाही, बहस सुनी गयी, बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने अपनी श्वातेदारी आराजी नं. 4158 रकबा 14 विल्वा भूमि में आवागमन हेतु एक छवि भेज व छवि उपलब्ध ले जाने हेतु विपक्षी सं. 01 व 02 की आराजी नं. 5154 रकबा 01 बीघा 14 विल्वा भूमि के पूर्वी भेद-के लहारे-सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में 10 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तुआ की।

मैंने पत्रावली का अपलोकन किया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा तस्बुत मौका विपार्ट पर अध्ययन व मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A का अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः

आदेश ::


प्रार्थीगण का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अ. स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी गाम बागौर II पट्टवार हल्का बागौर II तहसील माण्डल में स्थित आराजी नं. 4158 रकबा 14 विल्वा भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है, एवं मौजे पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, उपरोक्त भूमि में आने-जाने हेतु विपक्षी संख्या 01, 02 की आराजी नं. 5154 रकबा 01 बीघा 14 विल्वा भूमि में से पूर्वी दिशा भेद के सहारे-दक्षिण उत्तर दिशा में 10 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। 10 फीट चौड़ाई रास्ते के रूप में आने वाली भूमि की D.D. के लिये उबल राशि नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण 01 लगावत 02 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला नीलवाड़ा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

की भूमि शास्ते में आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड  
में सँ कम की जावे। एंव भूमि को राजस्व रेकार्ड में  
शास्ता दर्ज करते हुए नक्शे में तस्मीम किया जावे।  
तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड में अंकन करे।  
पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को  
भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फँ एल नुमार  
होकर नम्बर सँ कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल गिरा नीलवाड़ा